Debt-burden and suicide in Punjab

362. DR. GYAN PRAKASH PILANIA:††
SHRIMATI MAYA SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a suicide census, conducted by NGO namely 'Movement Against State Repression' found that 1360 farmers had committed suicide in just one district of Punjab in a span of 17 years due to debt-burden;

(b) if so, what is the average debt-burden on a farmer-household in the State and how it compares with other States and country as a whole;

(c) the total number of such suicides in the State during the last five years; and

(d) the steps taken to stop such suicides?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The NGO, named Movement Against State Repression (MASR) has claimed that it had conducted a census in Munak sub-division of Sangrur District, covering all the 93 villages with a time frame of 19 years (1988 to 2006). It claims that 1276 persons committed suicide in rural areas of the sub-division, during the period. However, causes of suicides have not been analysed in the report. In this regard, the Government of Punjab was requested on 20.4.2007 to send their report on the matter which is awaited.

(b) As per NSSO Report No. 498, 59th Round (January-December, 2003), the amount of outstanding loan per farmer household for all classes for Punjab was Rs. 41,576.00, against the all India average of Rs. 12,585.00. Similarly the number of farmer households having outstanding loan were 12.07 lakh against the all India number of 434.24 lakh. In terms of percentage, 65.4% farmer households were indebted in Punjab against the all India average of 48.6%.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Gyan Prakash Pilania.

(c) As per information furnished by the State Government during the last five years (2001-2005), 55 farmers committed suicide.

(d) Agriculture being a state subject, it is primarily the responsibility of the State Government concerned to provide various services to farmers. The Government of India supports and supplements the State's efforts through various policy measures and schemes/programmes. These, *inter-alia*, include the announcement of a credit policy in the year 2004 to double the flow of credit to the agriculture sector in three years. From Kharif 2006-07, farmers are being provided crops loans up to Rs. 3 lakh at 7% rate of interest. The Government has also announced a package for revival of cooperative credit structure. A major effort has been initiated for diversification of agriculture. National Horticulture Mission has been launched since the year 2005 for ensuring end-to-end approach with backward and forward linkages covering research, post harvest management, processing and marketing, which is expected to improve the income level of farmers. Besides Government announces each season Minimum Support Prices (MSPs) for major agricultural commodities and organizes purchase operations through public and cooperative agencies so that the market prices do not fail below MSPs and farmers interests are protected.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Mr. Chairman, Sir, I would like to make a submission to the hon. Agriculture Minister, who is known to be the messiah of farmers. Is it not an irony, your honour, that when India joins the Trillion-Dollar Club, Indian farmer, *Annandata,* is forced to commit *harakiri*. Is the suicide by farmers' scenario not horrendous, alarming and tragic? Is it not surprising that in Punjab; the granary of India, hardy *Jatta* is resorting to *atmahatya*? In the reply, the hon. Minister has mentioned that 1276 persons have committed suicide in rural areas of one sub-division of Punjab only during the last 19 years. However, causes of suicides have not been analysed. Who will analyse them? Do causes need analysis? Does a farmer commit suicide because of pleasure and insanity? It is obvious....

MR. CHAIRMAN: Let him reply.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: This is the first question, Sir.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the hon. Member has said that 1276 persons have committed suicide. This is neither the statement of the

Government nor the State Government. This is the statement of an NGO, named Movement Against State Repression. They have submitted this statement. The State Government sent a communication to me. There were two communications. One specific communication is about the cotton farmers in Malwa in the State. In five years, 55 farmers have committed suicide in Punjab. that is one statement. And, about this question particularly, the Punjab Government has communicated: "Give us time. we are going to give detailed information to Parliament. We are not in a position to submit all this detailed report." So, it is mentioned that the report is awaited.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, my second supplementary is this. Is it not enough if 55 farmers commit suicide? As far as all India figures are concerned, Sir, I would like to remind you that out of 1,87,000 suicides in a year, 15.8 per cent were farmers' suicides.

And, that comes to more than 16,000 every year—it is, daily, 45, and it is monthly, 1430. Is it not enough to make us shudder? Is it not enough to make us rise and do something. For the last few years we have been hearing that they are doing something but nothing is happening. As far as 31 districts of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Kerala are concerned, there is a constant spate of hundreds and hundreds. I have figures with me given by the Government, and if we read them, you will find it to be a very odd scenario. What will happen, how will it happen? Mr. Chairman, Sir, you have also been expressing great concern about it.

MR. CHAIRMAN: Everybody including the Minister has been expressing great concern.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Then, Sir, something should happen. I know the hon. Minister has thinned down because of this. But something must happen.

SHRI SHARAD PAWAR; Sir, this question is about one particular State. There is no reference to the whole nation. But I accept one thing that Punjab Government has gone in details. They have appointed Punjab State Farmers' Commission under the Chairmanship of Dr. G.S. Kalkar. The Chairman of the Commission has submitted the report to the State Government but the State Government has not taken any action yet.

But the hon. Chief Minister, Shri Prakash Singh Badal, has communicated that the Punjab Government is taking this issue very seriously. They have constituted one team of some senior officers. They would like to submit a detailed proposal to the Prime Minister, the Agriculture Minister and the Finance Minister of this country. The Government of India has appointed one Committee under the Chairmanship of Shri Radhakrishnan where this issue will be discussed in depth and some recommendations would be given to the Government of India. The Punjab Government would like to submit their entire report and their demands to the Radhakrishnan Commission. They are saying that within another 10—15 days they will complete all these details, and, then I will be able to answer what exactly the action the Government of India is going to take.

डा॰ ज्ञान प्रकाश पिलानिया: सर, ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज़ बढ़ता गया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछली निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के बारे में नियोजन के द्वारा जो धनराशि दी जानी चाहिए थी, वह घटती जा रही है, क्या सरकार उसको बढ़ाने की कोई योजना रखती है? क्या सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करने के लिए कोई विचार किया है? अगर विचार किया है, तो वह कब तक उसको implement करेगी और अगर कोई विचार नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है? दूसरा, बुंदेलखण्ड के बारे में भी क्या ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अभी बुंदेलखण्ड मत लाइए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: अच्छा। मैं इसी के बारे में बताता हूं। देश भर में 70 करोड़ व्यक्ति, जो कृषि पर निर्भर करते हैं, क्या सरकार इनके बारे में कोई विचार करेगी। यह कहना कि यह राज्य सरकारों का विषय है, केन्द्र सरकार का विषय नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह नहीं कहा है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इसमें कहा है।

श्री सभापति: राज्य सरकार ने यह कहा है कि समाचार पत्रों में जो छपा है, उसकी जांच करके हम भेज रहे हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: वे यह कह रहे हैं कि Agriculture being a State subject, यह उत्तर में लिखा है। वह संवैधानिक व्यवस्था ठीक है, लेकिन केन्द्र सरकार कृषि के बारे में और

किसानों की इतनी बड़ी जनसंख्या के बारे में यह कह कर नहीं बच सकती कि यह राज्य सरकारों का विषय है। अगर इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं, तो केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मंत्रालय के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके पश्चात् फिर किसान अपनी आत्महत्या नहीं कर पाएगा। दूसरा यह कि किसान ऋणमुक्त कब होगा? ब्याज दर घटाना नहीं, आप किसान को कर्ज से कब मुक्त करेंगे? भूखमुक्त हिन्दुस्तान और कर्जमुक्त किसान, कृषि मंत्री के नाते आप यह कब करेंगे? यह आपका दायित्व है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं।

श्री शरद पवार: यहां पहला सावल पूछा गया कि पिछले कई सालों से अपने देश में कृषि के ऊपर जो budgetary provision हो रही है, वह दिन-ब-दिन कम हो रही है, इसमें सच्चाई है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोगों ने यह issue raise किया था। इसके बाद प्रधान मंत्री ने मेरी ही अध्यक्षता में छः राज्यों के मिनिस्टरों का एक ग्रुप गठित किया और इनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी कि जो नया प्लान बन रहा है, इस नए प्लान में एग्रीकल्चर के लिए क्या करने की आवश्यकता है और कितना budgetary provision होना चाहिए। इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आई है और इस बारे में फाइनल डिसीजन लेने के लिए 28 तारीख को फुल प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होगी। इस में पिछले 10 सालों के बजटरी प्रोवीजंस पर ध्यान दिया है। इसमें बहुत सुधारों की आवश्यकता है, इस तरह का प्रस्ताव इनके सामने है। मुझे विश्वास है कि इसमें सुधार होगा। दूसरा प्रश्न आपने कर्ज मुक्ति के बारे में पूछा है। महोदय, इसीलिए राधाकृष्णन नाम के एक्सपर्ट के नाम पर एक कमेटी appoint की गयी है जिसकी रिपोर्ट 30 जून तक आने वाली है। इस रिपोर्ट की रिकमंडेशंस के आधार पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी।

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, my question to the hon. Minister is, instead of waiting for the reports on the incidence of suicides in these places, can we not ask the State Government to use the Revenue Officers to make a quick survey of the area for which they are responsible, assess the nature of hardship from which these people suffer, particularly, because of indebtedness and collect those details and immediately ask, at least, the Government banks to write off the interest burden accruing on this? We welcome all the Committees that the Minister referred to, but Mr. Minister, I feel that if this responsibility is squarely placed on the Collectors, Sub-Collectors and the Tehsildars, within one month, you will be able to get a list of people who are suffering from acute indebtedness and who are prone to suicide dangers, and assure these people, firsthand, by these Revenue Officials that their interest burden will be written off. And, if this approach is followed, I feel the number of suicides can be brought down to very minimum levels.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, as I mentioned regarding the efforts made by the Punjab Government in this connection, the Punjab Government appointed the Punjab State Farmers Commission. Through the Farmers Commission, the Punjab Government has assigned this particular job to one of the Chandigarh-based organisations. Their report has come. In that report, certain things have been communicated. The distinctive features of suicide cases, which emerge because of the study, are: first, indebtedness was reported as a major cause of suicide by thirty per cent of the victim families, followed by conflicts at home and poor financial position of the household; second, eighty-six per cent of the victims were actually under debt; third, a majority of suicide victims were small and marginal farmers; fourth, a majority of suicide victims were illiterate and semi-literate; fifth, a vast majority of victims belonged to young and middle-age groups; sixth, a majority of sulcide victims had borrowed money from informal credit agencies; and seventh, declining income due to ever-increasing cost of production and stagnant farm productivity and output prices and high amount of debt were reported to be the major causes of the non-payment of the loan.

So, Sir, these are the issues which are ultimately identified and on the basis of that, the Punjab Government would make a recommendation as to what action it is going to take on this issue and what expectation it has from the Government of India. The hon. Member has suggested that the State Government should take action within thirty days. Sir, the State Government has communicted to me that within fifteen days, it will send all these details on the action from their side and the demand which it wants to make to the Government of India.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the Government of India has announced a package in the name of Prime Minister's package to the affected areas, covering 31 districts in three States. According to me, it has not yielded any results. I would like to know from the hon. Minister whether any impact assessment has been done on the Prime Minister's package. In spite of this package, in my own State, around 5000 people have committed suicide in the past three years, What action has been taken on it?

SHRI SHARAD PAWAR: I would like to request for a separate question here because that is a different question. This question relates particularly to Punjab.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, Prime Minister's package with regard to farmers' suicide is a relevant question. Is Punjab not a part of India?

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: सर, मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है और जो पढ़ कर सुनाया है, उसमें एक मुद्दा छिपा हुआ है। 10 या 12 साल पहले एक कानून बनाया गया, जो छोटू राम की पॉलिसी या पुराने जमाने की, अंग्रेज की पॉलिसी थी, उसे बंद करके यह किया गया कि जो लोग बैंकों को कर्ज का पैसा वापस नहीं देते हैं, उनकी कुर्की करो और उनका सब कुछ ले जाओ। जो सेठ है, उसका तो कोई नहीं ले जा सकता और न किसी ने आज तक ऐसा किया है। फाइनांस मिनिस्टर हमें तीन सालों से यह पढ़-पढ़ कर सुना रहे हैं कि ये non-performing assets हैं, इनको right off कर दो। एक फाइनांस मिनिस्टर जी उधर भी बैठे हैं। लेकिन जो दो एकड़ जमीन वाला किसान है, उसके यहां अब डी॰एस॰पी॰ जाता है, मजिस्ट्रेट जाता है और उनकी औरतों को भी बेइज्जत करता है। मैं 'अजीत' पढ़ता हूं। अगर देश के बारे में जानना है कि क्या हो रहा है, तो आप पंजीबी अखबार पढ़ो, वर्नाक्यूलर के अखबार पढ़ो। मैं रोज 'अजीत' पढ़ता हूं, ''पंजाबी ट्रिब्यून'' पढ़ता हूं। एक दिन मैंने शोर किया कि पंजाब में एक औरत को, एक आढ़तिया ने साथ में आदमी ले जा कर,उसके घर में पीटा और उसकी भैंस-वगैरह ले गया। कल मैंने फिरोजपुर के बारे में पढ़ा। आप तो नजदीक ही रहते हैं। फिरोजपुर में 40 साल का एक जवान आदमी मरा पड़ा है और उसकी फोटो दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वैश्चन कर लीजिए।

डा॰ एम॰एस॰ गिल: सर, इसमें यह ऐसा क्यों नहीं करते कि वह काला कानून बंद हो। किसान के जीने के जो साधन हैं, उनमें उसकी जमीन, उसके हल-बैल, उसका चूल्हा-चौका, उसके बरतन आदि हैं, उन्हें कोई पुलिस, कोई डी॰एस॰पी॰ या कोई मजिस्ट्रेट टच नहीं करेगा। यह छोटू राम का कानून था। यह क्यों हो रहा है? मुझे अफसोस है सर, कि यह जवाब जिस ऑफिसर ने भी बनाया है "Agriculture being a State subject, it is primarily the resposibility of the State Government concerned to provide various services". ये तो खाक हो जाएंगे जुल्फ के सर होने तक। यह Ranganathan या Radhakrishnan की रिपोर्ट तो तीन सालों से आ रही हे। वह क्या जादू कर देगा यहां? सर इनसे अर्ज कीजिए। यह कोऑपरेटिव जानते हैं, यह किसान हैं, तो यह इसका कुछ करें। दूसरी तरफ, कल गवर्नर श्री रेड्डी, the Governor of the Reserve Bank has said in every paper उन्होंने कहा कि यह जो environment change, climate change आ रही है–मंत्री जी को भी चिंता है–और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता एग्रिकल्चर की है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर एक डिग्री भी चढ़ गया, तो wheat खत्म हो जाएगी। All of you are aware of that.

श्री सभापति: ठीक है। अब इनको बोलने दीजिए।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: सर, मंत्री जी किसान हैं, कुछ तो करें।

श्री सभापति: किसान मंत्री जी, बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद पवार: इस सवाल में जो बात कही गई है, regarding the example that was given about Chotu Ramji, I would like to say that it is true that in some of the States, some different legislation has been adopted by the respective Governments. Unfortunately, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab राज्यों में कानून में एक सुविधा है कि जब किसान से रिकवरी नहीं हुई, वह डिफॉल्टर हो गया, तो उस डिफॉल्ट को वसूल करने के लिए उसको अरेस्ट करने की भी सुविधा इस कानून में दी गई है। उसे अरेस्ट करने की सुविधा है। इससे आगे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि अरेस्ट करने के बाद जब उनको जेल में रखते हैं, और समझिए कि अगर उनको दो महीने जेल में रखा गया, तो जेल में उन्हें रखने का जो खर्च आता है, वह भी उनके पास से रिकवर करने की प्रोबैबिलिटी है। इसीलिए भारत सरकार ने इन राज्यों के प्रमुख लोगों को दो बार लिखा है कि इस कानून में आप परिवर्तन करें। आप इस तरह से किसानों की बेइज्जती मत करिए। अभी तक इसमें सुधार करने की बात के बारे में मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, मगर मैं इसके बारे में बड़ी गंभीरता से व्यू लेता हूं और इस तरह का जो कानून है, मुझे लगता है कि काला कानून है। इस तरह का कानून किसी राज्य में करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, हम कृषि मंत्री पवार साहब का आभार मानते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून भी होना चाहिए, लेकिन सही बात यह है कि हमारे विदर्भ में रोज सुसाइड हो रहे हैं। हमारे स्वामीनाथन साहब यहां हैं, इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट सरकार के पास दी है। आप खुद विदर्भ में गए हैं, महाराष्ट्र में घूमे हैं और एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास दी है। उस रिपोर्ट को भी आप इंपलीमेंट करें। मुझे ऐसा लगता है, सर, किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं जानना यह चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट सरकार के पास है, उसे आप कब इंपलीमेंट करेंगे?

SHRI SHARAD PAWAR: We will take the final view on Dr. Swaminathan Commission's Report. Hon. Prime Minister has called the meeting of the Chief Ministers on 29th May, 2007 and I am sure that will be able to take some definite view.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। यह समस्या किसानों की इतनी सीधी नहीं है, जितनी हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मैं खुद किसान हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि दरअसल समस्या की जड़ कहां हैं? जड़

इस बात में है कि किसान की खेती अब लाभकारी नहीं रह गई है, उसकी लागत की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वह खाद हो, बीज हो, बिजली हो, ट्रेक्टर हो, दवाइयां हों, लेबर कॉस्ट हों इन तमाम चीजों की कीमतों पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर हमने एक ऐसा मैकेनिज्म खड़ा कर दिया है, जो दरअसल किसान की मदद करने के आशय से पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब वह उसके गले की फांस बन गई है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से आज किसान को लाभकारी मूल्य बाजार में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान दो तरफ से करना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप क्वैश्चन करिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, प्रश्न वही है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि किसानी और खेती की विभिन्न जिन्सों के लिए, पैदावारी के लिए जो लागत की वस्तुएं हैं, उनके मूल्यों पर या तो नियंत्रण करके उसकी कीमतें घटाए जाएं, या अन्यथा जो उसकी प्रति एकड़ प्रति क्विंटल लागत आ रही है, उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से उसको समर्थन मूल्य दिया जाए, ताकि किसान की जो खेती की पैदावार है, उससे उसको लाभकारी मूल्य मिल सके और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर न होना पड़े। क्या ऐसी किसी नीति पर आप विचार कर रहे हैं?

श्री शरद पवार: सर, किसान को उसकी पैदावारी का उचित मूल्य मिलने का अधिकार है, मगर आज तक अपने हर राज्य में इस तरह के कानून थे, जिससे उस पर कोई मर्यादा आती थी सीमा, आती थी। हमने दो साल पहले सभी राज्यों को यह लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे किसानों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के मुताबिक अपना प्रोड्यूस, अपना उत्पादन सिर्फ रेगुलेटेड मार्केट और लाइसेंसी जितने ट्रेडर्स हैं उनको ही बेचने का अधिकार था। इस देश में बाकी सभी निर्माताओं, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे कोई हों, उनको अपनी पैदावारी कहीं भी बेचने का अधिकार है, किसी को भी बेचने का अधिकार है, मगर यह अधिकार किसानों को नहीं था। अब 22राज्यों ने ए॰पी॰एम॰ एक्ट में परिवर्तन किया है और इससे किसान को अपना माल कहीं भी बेचने का अधिकार दिया गया है। इसकी कीमत पिछले साल भारत सरकार को देनी पड़ी है और इसमें मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। इसमें यह पैदा हुआ कि Take the case of wheat, Food Corporation of India last year could not purchase wheat because there were lot of buyers other than FCI and they were allowed to buy. Not only that, many farmers disposed of their produce in the villages and they got better prices at Minimum Support Price. Most of the items today in the country except sugarcane and one or two items, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत गई है। किसानों को अपना उत्पादन बेचने का अधिकार है और उससे उसको कीमत ठीक मिल रही है। मुझे इतना ही कहना है कि ऐसी परिस्थिति तब पैदा

होती है, जब किसान अपना माल मार्केट के बाहर बेचता है और उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। यह ठीक नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम यह केवल औपचारिकता कर रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं। ...(व्यवधान)... औपचारिकता नहीं है, आप बाद में फिर इनसे बात कर लीजिए। श्री यशवंत सिन्हा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, मूलत: जो प्रश्न है, आप उसकी भावना को समझते हुए देखें। उत्तर में आपने यह तो कह दिया है कि स्वतंत्रता देने की जरूरत है, खुले मार्केट में ज्यादा कीमत मिल रही है। लेकिन जब तक उनको उसकी कीमत, आनुपातिक रूप से उनकी जो लागत आ रही है, उस रूप से मिल रही है या नहीं ...(व्यवधान)... अनुपातिक रूप से खर्च ज्यादा आ रहा है और उन्हें कीमत कम मिल रही है।

श्री सभापति: अब आप इस बात को छोड़िए ...(व्यवधान)... Please take your seat... *(interruptions)*...

श्री यशवंत सिन्हा: सर, मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिकली यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसे कितने फार्मर्स हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं? क्योंकि वह एक रोलिंग क्रेडिट है, ज्यादा फ्लेक्सिबल क्रेडिट है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्रॉप इन्श्योरेंस को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यह सुझाव था कि उसकी यूनिट को डेवलपमेंट ब्लॉक से कम करके ग्राम पंचायत कर दिया जाए, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

तीसरा प्रश्न यह है कि यहां पर बार-बार स्वामीनाथन कमिशन का उल्लेख हुआ है, उसकी यह स्पष्ट सिफारिश है कि किसानों के ऋण के ऊपर, क्रॉप लोन के ऊपर जो सूद की दर हो, वह 4% हो, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि वित्त मंत्रालय इस कोशिश में है कि जो सारफेसी ऐक्ट है, उसे एग्रीकल्चरल लोन्स के ऊपर लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार अगर किसान डीफॉल्ट करेगा तो वह सिर्फ जेल ही नहीं भेजा जाएगा बल्कि जो बैंक हैं, वे उसकी जमीन को भी ले सकते हैं becasuse that is the only asset which he has. मेरे यह चार स्पेसिफिक प्रश्न हैं, जिनका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री शरद पवार: यह जो आखिरी सवाल यहां पर पूछा गया है, उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि सरकार इस तरह के सुझाव को स्वीकार करेगी, और हम यह कभी करने भी नहीं देंगे ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: यह विश्वास का सवाल नहीं है, क्या आपकी ओर से ऐसा आश्वासन है या नहीं?

श्री सभापति: उन्होंने बता दिया है ना।

SHRI SHARAD PAWAR: There is no proposal. मेरे सामने जो प्रोपोजल ही नहीं है, उसके बारे में मैं क्या कहूं? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रोपोजल होगा भी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही हम उसमें कोई हिस्सा लेंगे।

जहां तक किसान कार्ड के बारे में आपका प्रश्न है, उसकी इग्जैक्टली फिगर्स कितनी है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, मगर एक बात अवश्य है कि पंजाब में more than 65 per cent, 65.4 per cent, are getting through financial institutions, which includes credit card also, as against the country's whole average of 48 per cent. पंजाब के किसानों को कम्पेरेटिवली इंस्टीट्यूशनल फाइनांस सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम पूरे भारत के हिसाब से ऐवरेज लें तो इसमें जो राशि है, वह पंजाब के किसानों के लिए सबसे ज्यादा दी गई है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि प्रति हैक्टेयर यील्ड के बारे में इस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब से मिलता है और इसीलिए यह उनका अधिकार है। आज समस्या सिर्फ इतनी पैदा हुई है कि पंजाब में खास तौर पर मेन क्रॉप व्हीट एंड राइस है और कंटीन्यूअसली व्हीट एंड राइस का सर्कल लेने के बाद जमीन की प्रोडक्टिविटी पर असर हुआ है। इससे ग्राउंड वॉटर का लेवल दिन-ब-दिन नीचे आ रहा है और वहां पर इसे रोकने के लिए सख्ती से कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। बार-बार पंजाब सरकार के सामने यह बात आई है और इस बारे में वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी व्यक्तिगत डिटेल्ड डिस्कशन भी हुई है और वह इस इश्यू को बहुत ही गंभीरता के साथ लेने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)।

श्री यशवंत सिन्हा: आपने बीमा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जवाब नहीं दिया है।

श्री सभापति: बस अब आपका प्रश्न हो गया है।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, I want to bring to the notice of the Minister that we have already got enough information. I am aware of the Commissions and Committees that he has appointed, Radhakrishnan and others. We have got enough information to say just a few things which are national problems, if you are talking about farmers' suicides; we are

not talking about economic development, agricultural development, prices, etc. Farmers' suicides are basically confined to poor farmers of four to five acres of land or less and basically they are reeling under the indebted problems. Sir, this is the simplest problem which can be solved at national level. This is not a question of State policy. Punjab gives you an example that.

MR. CHAIRMAN: Please come to your question straightway ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Any farmer who is having debt burden of above, say, five thousand or ten thousand rupees, of four to five acres of land, that loan will be waived. This is a policy of a national Government. The Agriculture Minister can ask the Finance Minister to immediately direct the nationalised banks that this would be provided. That will have an immediate effect. Dr. Alexander gave a very good example of how to do it in practice. But the policy can be taken up only at the national level by the Agriculture Minister and he can ask the Finance Minister to agree to that.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, this particular suggestion has been taken up by the Department of Agriculture with the Finance Minister. That is the reason why the Finance Minister has appointed a Committee. Its report is expected up to 8th June, 2007. We will see that appropriate action will be taken.

Amending the Human Organ Transplant Act

*363. SHRI SYED AZEEZ PASHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government plan to amend the Human Organ Transplant Act, 1994 to promote cadaver transplantation and brain stem cell transplantation; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.